

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक0प्र0क0-759 / 14
संस्था0दि0 29 / 10 / 14
फाईलनं.233504005132014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

--: **विरुद्ध :-**

1. अभिजीत उर्फ जीतू पिता अशोक महोरिया, उम्र 23 वर्ष,
2. श्रीमती उर्मिला पति अशोक महोरिया, उम्र 56 वर्ष,
3. अशोक पिता छुट्टू महोरिया, उम्र 58 वर्ष,
4. किशोर पिता छुट्टू महोरिया, उम्र 48 वर्ष,
5. श्रीमती सरिताबाई पति किशोर महोरिया, उम्र 44 वर्ष,
6. श्रीमती अंबिका पति गणेश कुमार झा, उम्र 29 वर्ष,
7. कु0 दीपिका पिता अशोक महोरिया, उम्र 28 वर्ष,
सभी नि0 कुन्बी मोहल्ला, वार्ड नं. 6, थाना आमला,
जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियुक्तगण**

--: **निर्णय :-**

(आज दिनांक 29 / 11 / 2016 को घोषित)

1— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 11/11/2012 से 16/07/2014 तक समय 15:05 बजे अम्बेडकर पार्क के पीछे वाड कं. 6 आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी श्रीमती रंजना माहोरिया जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता की, आपने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में दो लाख रुपयों की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया।

2— दिनांक 16/11/16 अभियुक्तगण और फरियादी रंजना माहोरिया के बीच राजीनामा होने से अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-294, 342, 406 एवं 506 भाग-2 का अपराध से दोषमुक्त किया गया।

3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी की शादी 11/12/2012 को हिन्दू रीति रिवाज से अभिजीत उर्फ जित्तू माहोरिया निवासी अम्बेडकर पार्क के पीछे वार्ड कं. 06 आमला जिला बैतूल के साथ हुई थी। शादी के समय उसके पति एवं उसके पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग में मोटर सायकिल की मांग की थी। जिस पर पिता पक्ष के लोगों ने बड़ी मुश्किल से 50,000/-रुपये एकत्रित कर पति पक्ष को दिये थे। शादी में उसके पिता पक्ष ने सोने का हार, सोने की कंगन, सोने की नाक की लॉग, सोने की बिंदियाँ, चाँदी की पायल, चाँदी का करधोना दहेज में दिये थे। शादी के बाद से ही उसे

उसके ससुराल वाले पति अभिजीत माहोरिया उर्फ जीतू, सास उर्मिला, ससुर अशोक तथा ननद अंबिका झा तथा दीपिका माहोरिया चाचा ससुर किशोर, चाची सास सरिता माहोरिया, लगतार दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। दो लाख रुपये की मांग कर उसे मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते थे। शादी के करीबन एक माह बाद उसी सास उर्मिला माहोरिया ने उसे दहेज के सभी जेवर उतरवाकर ले लिये, जब वह गर्भवती हुई तो लड़का ही होना चाहिए इस प्रकार से कहते हुये प्रताड़ित करते थे। दिनांक 16/07/14 को उसके द्वारा मायके पक्ष के लोगों को सूचित करने पर उसके मायके पक्ष के लोग उसे आमला से छिन्दवाड़ा ले आये। उसके ससुराल वाले उसे लेने तब से आज तक नहीं आये।

4— लिखित आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय, छिन्दवाड़ा को उसके द्वारा दिया गया प्र0पी0 1 है। फरियादी के लिखित आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 667/14 भा.द. सं. धारा-498 "ए", 294, 342, 406, 506 भाग-2 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 3, 4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 17/08/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1—"क्या आपने दिनांक 11/11/2012 से 16/07/2014 तक समय 15:05 बजे अम्बेडकर पार्क के पीछे वाड क्रं. 6 आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी श्रीमती रंजना माहोरिया जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता की?"

2—" उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में दो लाख रुपयों की मांग कर शास्ति कर दुष्टेयित किया?"

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण

7— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

8— अभियोजन साक्षी रंजना माहोरिया (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसका पति अभिजीत उर्फ जीतू ने उससे खाना बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें उसके पति ने उसे गाली गुप्तार कर मारपीट की थी जिससे उसने गुस्से में आकर थाना प्रभारी छिन्दवाड़ा एवं पुलिस अधीक्षक बैतूल को उसकी लिखित शिकायत प्र0पी0 1 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित करने

पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसकी रिपोर्ट के प्र0पी0 1 आवेदन में यह लिखाया था कि विवाह के समय आवेदक कं. 1 एवं उसके परिवारजन वाले मण्डप पर कहने लगे उन्हें दहेज कम दे रहे हैं यदि आप गाडी के लिए पैसा दो तो ही वह शादी करेंगे नहीं तो वह बारात वापस ले जा रहे हैं। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि परिवार वालों के समझाने पर बड़ी मुश्किल से गाडी के लिए जब 50 हजार रुपये नगद पापा ने लाकर दिये थे तब जाकर शादी हुई थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि शादी के बाद सास ने मंगल सूत्र छोड़कर सारे जेवर जो शादी में परिवार वालों द्वारा दिये गये सास ने अपने पास छुड़ाकर रख ली थी और कहने लगी थी कि तेरे पापा ने दहेज नहीं दिया है तो यही हमारा दहेज है इस पर तेरा कोई हक नहीं है।

9— आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि यह भी नहीं कहा था कि जब दहेज लाओगे तब तुम्हारी बेटी से मिलने देंगे तथा ले जाने देंगे, परिवार वालों के द्वारा समझाने पर बड़ी मुश्किल से 2 दिन का कहकर आने दिया तथा कहा कि दो दिन के बाद जब आयेगी तब दहेज के बचे पैसे व एक लाख रुपये नगद लेकर आना नहीं तो उसे बहुत मारेगें आगे कभी न तेरे मायके वालों को आने देंगे न तेरे को जाने देंगे। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि अनावेदक कं. 3 एवं 4, 5 के द्वारा रात में घर के बाहर निकाल दिया था कि शादी में उन्होंने पैसे लगाये थे कि बहू कुछ तो लायेगी तू छिनाल न मरती है न तेरा बाप पैसा लेकर आता है हम तुझे घर में तब ही घुसने देंगे जब तू घर से दो लाख रुपये लेकर आयेगी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि आवेदिका के परिवारजनों ने समझौता के लिए उसे आमला भेज दिया उसके 10-15 दिन बाद वे फिर आवेदिका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे तथा आवेदिका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।

10— आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने लिखित रिपोर्ट प्र0पी0 1 लिखाया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि दिनांक 14/07/14 को अनावेदकगण के द्वारा फिर से आवेदिका को मारा गया तथा पैसे को लेकर प्रताड़ित किया गया। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्र0पी0 2 का अ से अ भाग का बयान दिया था साक्षी को प्र0पी0 2 का अ से अ भाग के बयान पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर साक्षी का कहना है कि उसने पुलिस को ऐसे बयान नहीं दिया था पुलिस ने कैसे लिख लिया वह कारण नहीं बता सकती।

11— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में यह स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका खाना बनाने को लेकर वाद विवाद हुआ था जिसकी रिपोर्ट उसने लिखित रूप में थाना प्रभारी छिन्दवाडा को की थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि इसके अलावा उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से उसकी मर्जी से बिना किसी डर दबाव के स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा कर रही है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वह आरोपी के साथ अच्छे से निवास कर रही है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे किसी भी आरोपीगण ने शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि किसी भी आरोपीगण ने उससे दहेज में दो लाख रुपयों की मांग नहीं की। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि किसी भी आरोपीगण ने मोटर साईकिल, सोने का हार, सोने का कंगन, सोने की नाक की लोंग, सोने की बिंदिया, चांदी की पायल, चांदी का करदोना की मांग नहीं की है। यह गवाह स्वयं फरियादी है। और इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि अभियुक्तगण ने उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित

की और यह भी नहीं बताया है कि अभियुक्तगण ने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में दो लाख रूपयों की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भा0द0वि0 की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिशेष अधिनियम की धारा-4 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

12- उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगणों ने फरियादी जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। और उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में दो लाख रूपयों की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 व 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

13- उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगणों ने फरियादी जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में दो लाख रूपयों की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार अभियुक्तगण अभिजीत उर्फ जीतू, श्रीमति उर्मिलाबाई, अशोक, किशोर, श्रीमति सरिताबाई, श्रीमती अंबिकाबाई, कु0 दीपिका को भा0द0वि0 की धारा-498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14- अभियुक्तगण के धारा-313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

15- प्रकरण में जप्त शुदा सामाग्री शादी का कार्ड एवं दहेज की सूची मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0